



14E13

3/4/20

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
एफ.3(4)आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/3403-06

जयपुर, दिनांक 13/3/2020

प्रशासनिक स्वीकृति

वित्तीय वर्ष 2020-21 की बीएफसी में रखे गये बजट प्रावधान अनुसार राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 01-01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2020 से 28.02.2021 तक निम्नलिखित शर्तों के अधधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तों के अधधीन होगी।
2. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा-निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा :-

- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
- 01- सूखा
- 800- अन्य व्यय
- (03)- (राहत कार्यों पर व्यय)
- (07)- [प्रशिक्षण-व्यय]
- 29- प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

सिद्धार्थ

13/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित है:-

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
4. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर (आ. प्र. एव ना. सू.), राजसमन्द

क्रमांक:- प.14()/सहायता/लेखा/2020-21/ 2009-11

दिनांक 26-6-2020

प्रेषित:-


श्री कृष्णा कम्प्युटर कांकरोली।

विषय:- कम्प्युटर ऑपरेटर मय मशीन की दर अनुमोदन करने बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय की कोटेशन आमन्त्रण सुचना संख्या 1895 दिनांक 18.06.2020 उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहायता अनुभाग में कम्प्युटर ऑपरेटर मय मशीन के कोटेशनों में आपकी दर न्यूनतम होने से स्वीकृत की जाती है:-

क्र.स.	कार्य का विवरण	अनुमोदित दर प्रतिमाह
1.	कम्प्युटर ऑपरेटर मय मशीन	9224

आगामी माह की प्रथम तारीख को कम्प्युटर ऑपरेटर मय मशीन उपलब्ध करावें। यह दरें दिनांक 28.02.2021 तक मान्य रहेगी एवं निविदा की समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।


जिला कलक्टर


(आ.प्र. एव ना. सू.)

राजसमन्द

दिनांक 26-6-2020

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर
2. लेखाधिकारी कलक्टर, राजसमन्द


जिला कलक्टर

(आ.प्र. एव ना. सू.)

राजसमन्द